न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 09/2022

प्रार्थी

सरकार जरिए उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक, कृषि(विस्तार),सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री तेजसिंह जाति राजपूत निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. श्री राम निवास शर्मा पुत्र श्री अमरसिंह निवासी खेरली रेल तहसील धलावता जिला अलवर।
3. मालिक/जिम्मेदार व्यक्ति मैसर्स नव किसान बायोकेम, झालर की घाटी, कानपुर मादरी, तहसील गिरवा जिला उदयपुर।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से।

निर्णय

दिनांक 17.05.204

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2022 को अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा जैविक उर्वरक का अवैध रूप से बेचान किए जाने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के वाहन में जैविक उर्वरक प्रोम जिसमें एस–प्रोम ब्राण्ड के 15 कट्टे प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम एवं पोटांश डेरिवड फ्रोम गोलासस धरती ब्राण्ड के 10 कट्टे प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम पाए जाने पर एवं अप्रार्थी के द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही देने पर एवं बिना परमिट के होने पर कब्जे सरकार लिये जाकर सीज किए एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जबाव पेश किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से प्रार्थी स्वयं की एवं अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 08.08.2022 को कृषि पर्यवेक्षक, ध्रुबाणा श्री संजय कुमार गर्ग एवं सहायक कृषि अधिकारी, शिवगंज को ध्रुबाणा गांव के कृषकों से सूचना मिली कि कम्पनी वाले गांव में आज उर्वरकों की बिक्री एवं आपूर्ति करने आ रहे है। प्राप्त सूचना के आधार पर दोनों कार्मिक ध्रुबाणा गांव पहुंचे, परन्तु पहुंचने से पूर्व अप्रार्थी द्वारा दो से तीन कृषकों को जैविक उर्वरक का विक्रय किया जा चुका था। मौके पर पहुंचने पर दोनों कार्मिकों ने कम्पनी प्रतिनिधि अप्रार्थी संख्या एक श्री जितेन्द्रसिंह एवं अप्रार्थी संख्या दो श्री रामनिवास से उर्वरकों के बिल व अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में जानकारी चाही, जिस पर कम्पनी प्रतिनिधियों द्वारा किसानों के एडवान्स बुकिंग के आधार पर पाली जिले से जैविक उर्वरक लाकर की आपूर्ति करना बताया। विक्रेताओं से संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर अप्रार्थी संख्या एक व दो के वाहन में जैविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उर्वरक प्रोम जिसमें एस–प्रोम ब्राण्ड के 15 कट्टे प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम एवं पोटाश डेरिवड फ्रोम मोलासस धरती ब्राण्ड के 10 कट्टे प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम को किसान सेवा केन्द्र में रखवाकर स्वयं के स्तर पर एक मौका रिपोर्ट तैयार की गई। प्रार्थी द्वारा बताया कि अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा पूर्व में दिनांक 18.07.2022 व 20.07.2022 को गांव धुबाणा में कृषकों के घर–घर घूमकर जैविक उर्वरक प्रोम एवं पोटास की बुकिंग की गई एवं कृषकों से कुछ राशि 400 से 500 रूपए एडवान्स में लिए गए तथा उन्हें दिनांक 30.07.2022 को उर्वरक की आपूर्ति करने हेतु कहा गया था। दिनांक 07.08.2022 को कृषकों को सूचना दी गई कि दिनांक 08.08.2022 को आपके घर जैविक उर्वरकों की आपूर्ति की जाएगी, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा दो से तीन कृषकों को बिना बिल एवं रसीद दिए उर्वरक की बिक्री की गई तथा प्रार्थी के पहुंचने पर अप्रार्थी संख्या दो मौके से फरार हो गया, जबकि अप्रार्थी संख्या एक मौके पर मौजूद मिला। अप्रार्थी संख्या एक से जैविक उर्वरकों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का बिल एवं खुदरा विक्रेता फर्म के लाईसेंस से सम्बन्धित जानकारी चाही गई, परन्तु अप्रार्थी द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैविक उर्वरक को कब्जे सरकार लिया गया। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस के उर्वरक का अवैध कारोबार करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त उर्वरक को कब्जे सरकार लिया गया। उसे समयपहरण (confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे। अन्त में प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराकर न्यायालय से निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा बिना बिल व लाईसेंस के जैविक उर्वरक को बेचान किए जाने से कब्जे सरकार लिए जैविक उर्वरक को राज साज किया जाए।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी ने गलत व मनगढंत कथनों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण ने उर्वरक नियंत्रण आदेश व आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया है। अप्रार्थीगण की फर्म नवकिसान बायोकेम ने राजस्थान सरकार से थोक विक्रेता का अनुज्ञा पत्र ले रखा है और उक्त अनुज्ञा पत्र की पालना में ही अप्रार्थीगण की फर्म में व्यापार किया है, जो अनुज्ञा पत्र कृषि विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा अपने पत्र एसीएस/2020–21/454 दिनांक 09.12.2021 को जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 08.12.2026 है। इसी नवकिसान बायोकेम से खाद के कट्टे जरिए बिल संख्या 1013 दिनांक 08.08.2022 को वाहन संख्या आरजे 22 जीए 6331 से उदयपुर से देसूरी जिला पाली के लिए रवाना किया था लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से रास्ता अवरूद्ध था तब गाडी ड्राईवर दूसरे रास्ते से देसूरी जाने के लिए दिनांक 08.08.2022 को रवाना हुआ, जो सिरोही होते हुए सुमेरपुर की तरफ से देसूरी की ओर जाने के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी कुछ किसानों के फोन आए कि हमें जैविक खाद चाहिए तो हमारे एजेन्ट ने उनको अधिकृत दुकान सिरोडी जिला सिरोही नवकिसान बायोकेम में आकर माल लेने आने के लिए बोला, जो दिनांक 15.08.2022 तक मिलेगा। तब किसान ने दूरभाष पर अप्रार्थी संख्या एक से बात की एवं कहा कि अभी आप कहां पर हो तो अप्रार्थी संख्या एक ने बताया कि हमारी गाडी अभी पालडी एम में है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तब कुछ किसान सीधे ही शिवगंज की ओर आ रही गाडी को धुबाणा के डीलरों ने रूकवाया एवं हमारे एजेन्ट व ड्राईवर को धमकाया व कुछ बैग भी उतार लिए और कृषि विभाग को भी मौके पर बुलाया, तब उन्होने एजेन्ट से बिल मांगा तो उस सम[illegible] उन्हे बिल बताया लेकिन वे नहीं माने और जबरदस्ती गाडी को रोक दिया जबकि यह माल उदयपुर से देसूरी स्टॉक के लिए भेजा था। उसके पश्चात कृषि अधि[illegible] द्वारा प्रोडक्ट का सैम्पल लिया गया, जिसे जांच के लिए [illegible] स्टैण्डर्ड पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 3 का किसी भी प्रकार से उल्लघंन नहीं किया है, न ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अवहेलना की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र में वर्णित माल की जांच रिपोर्ट भी स्टैण्डर्ड प्राप्त हो गई है, जिससे भी अब यह प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने कुछ एजेन्ट व दलालों के मार्फत अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने से यह कार्यवाही की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे खारिज करना फरमावें।

दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2022 को अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा धुबाणा गांव कृषकों को जैविक उर्वरक का विक्रय किया जा रहा था। मौके पर प्रार्थी के पहुंचने पर दोनों कार्मिकों ने कम्पनी प्रतिनिधी अप्रार्थी संख्या एक श्री जितेन्द्रसिंह एवं अप्रार्थी संख्या दो श्री रामनिवास से उर्वरकों के बिल एवं अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में जानकारी चाही, जिस पर कम्पनी प्रतिनिधियों द्वारा बिना बिल के एडवान्स बुकिंग रसीद के आधार पर पाली जिले से जैविक उर्वरक लाकर के आपूर्ति करना बताया। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर अप्रार्थी संख्या एक व दो के वाहन में जैविक उर्वरक प्रोम जिसमें एस–प्रोम ब्राण्ड के 15 कट्टे प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम एवं पोटाश डेरिवड फ्रोम मोलासस धरती ब्राण्ड के 10 कट्टे प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैविक उर्वरक को कब्जे सरकार लिया गया। अप्रार्थी संख्या एक से तीन के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि कब्जे सरकार लिए गए जैविक उर्वरक को अप्रार्थी संख्या एक व दो रजिस्टर्ड कम्पनी नवकिसान बायोकेम से जरिए बिल संख्या 1013 दिनांक 08.08.2022 को वाहन संख्या आरजे 22 जीए 6331 से उदयपुर से देसूरी जिला पाली के लिए रवाना किया था लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से रास्ता अवरूद्ध हो जाने के कारण गाडी ड्राईवर दूसरे रास्ते से देसूरी के लिए जा रहे थे, तभी कुछ किसानों के फोन आए कि उन्हे जैविक खाद चाहिए तो कम्पनी एजेन्ट ने किसानों को अधिकृत दुकान सिरोडी जिला सिरोही नवकिसान बायोकेम से उर्वरक लेने के लिए बोला तब किसान ने दूरभाष पर अप्रार्थी संख्या एक से पूछा कि अभी आप कहां पर हो तो अप्रार्थी संख्या एक ने गाडी को पालडी एम में होना बताया तब कुछ किसानों ने गाडी को धुबाणा में रूकवाया एवं कम्पनी के एजेन्ट व ड्राईवर को धमकाया व कुछ बैग भी उतार लिए। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक से तीन के अधिवक्ता द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न इस सम्बन्ध में पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है। यदि धुबाणा गांव के किसानों द्वारा कम्पनी के एजेन्ट व ड्राईवर को धमकाकर गाडी से कुछ बैग उतार लिए गए थे, तो इस सम्बन्ध में कम्पनी के एजेन्ट व ड्राईवर के द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जानी चाहिए थी, परन्तु इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई गई और न ही इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक से तीन के अधिवक्ता द्वारा कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या एक से तीन के अधिवक्ता का यह कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि धुबाणा गांव के किसानों द्वारा कम्पनी के एजेन्ट व ड्राईवर को धमकाकर गाडी से कुछ बैग उतार लिए थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण के पास जैविक उर्वरक की बिक्री का नवकिसान बायोकेम सिरोडी गांव का थोक विक्रेता का लाईसेंस था तो उन्हें अपनी अधिकृत दुकान पर ही उर्वरक का बेचान किया जाने चाहिए था, परन्तु इनके द्वारा गांव–गांव जाकर सीधे ही किसानों को उर्वरक की बिक्री की जा रही थी जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों [illegible] से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो [illegible] में यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा बादला गांव [illegible] कट्टे [illegible] किसानों को बेचान किया गया था, इसके बाद धुबाणा गांव [illegible] कट्टे उर्वरक का बेचान किया गया था तथा प्रत्येक कृषक से अग्रिम बुकिंग [illegible]50–500 रूपए लिए गए थे। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा बिना बिल व अनुज्ञापत्र के सीधे ही किसानों को उर्वरक को बेचान किया जा रहा है।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा कब्जे सरकार लिए जैविक उर्वरक का अवैध तरीके से बेचान किया जा रहा था। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए जैविक उर्वरक प्रोम जिसमें एस–प्रोम ब्राण्ड के 15 कट्टे प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम एवं पोटाश डेरिवड फ्रोम मोलासस धरती ब्राण्ड के 10 कट्टे प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम को समयपहरण (confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

उप निदेशक कृषि विस्तार, सिरोही कब्जें सरकार लिए गए जैविक उर्वरक को लाईसेंस होल्ड़र फर्म को नियमानुसार नीलामी/कम्पनी दर पर वितरण करवाया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाई जावे। जमा कराने की कार्यवाही जिला रसद अधिकारी, सिरोही एवं उप निदेशक, कृषि विस्तार, सिरोही अपने स्तर पर करे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner